

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी/2019-20 दिनांक- 29.09.2019 के तहत राकेश कुमार शर्मा व्याख्याता, अंग्रेजी, राउमावि महात्मा गांधी राउमावि रेल्वे स्टेशन, दौसा का स्थानान्तरण राउमावि जसेला, ब्लॉक गलियाकोट, डूंगरपुर किया गया। राकेश कुमार शर्मा, द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 162/2020 राकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 162/2020 में माननीय अधिकरण अपील द्वारा आदेश दिनांक 06.02.2020 द्वारा अपीलार्थी राकेश कुमार शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन दिनांक 28.02.2020 तक पेश करने एवं पेश किये जाने की स्थिति में इसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आदेश प्रसारित कर निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा आज दिनांक 24.02.2020 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा अपना स्थानान्तरण मूल स्थान से लगभग 600 कि.मी. दूर होने एवं विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों के कारण राउमावि सकट, राजगढ, अलवर/राउमावि टहला राजगढ, अलवर/राउमावि किशोरी, थानागाजी, अलवर/स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, खेड़ला, दौसा/स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, नयागांव, महवा, दौसा में स्थानान्तरण करने का निवेदन किया गया है।

संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंगा से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरित किया जा सकता है। राकेश कुमार शर्मा द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 26.10.2019 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्क संगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।


  
(सौरभ स्वामी)

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-1/अंग्रेजी/अपील सं.162/राकेश कुमार शर्मा/2020 दिनांक:- 11/10/2020

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित व्याख्याता,

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर